तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही तथा हस्ताक्षरों सहित
12/8/2020	वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली प्रार्थना पत्र विसल तलाकी (शामिल हुक्म तलाक) वापस लिया जाने पर पत्रावली विथ नोटी कोविड-19 संक्रमण के कारण लिस्ट कैप्स नोटी दिनांक 12/11/2020 को तलब की जाकर अंत देश हुई। हस्तगत प्रार्थना पत्र T.I. से सम्बन्धित मूल तलाक को वादी द्वारा आज विड्रा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र T.I. में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही मुकदमा इसी स्टेज पर drop की जाती है। पत्रावली फैमिल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। 12/8 (रामेश्वर कुमार) RA अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (फैमिली कोर्ट) सीकर

Scanned with CamScanner